

TC/591099
18/3/2020

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग

क्रमांक:- प. 6(12) प्र.सु/अन-3/2020

जयपुर, दिनांक : 12/3/2020

आज्ञा

राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा हाई पावर समिति का गठन एतद् द्वारा किया जाता है :-

- | | |
|---|------------|
| 1. माननीय मुख्यमंत्री | अध्यक्ष |
| 2. माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 3. माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | सदस्य |
| 4. माननीय मंत्री, परिवहन विभाग | सदस्य |
| 5. माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य |
| 6. माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| 7. माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 8. माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 9. मुख्य सचिव | सदस्य |
| 10. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग | सदस्य |
| 11. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 13. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| 14. पुलिस महानिदेशक | सदस्य |
| 15. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | सदस्य |
| 16. अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात | सदस्य |
| 17. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य |
| 18. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 19. शासन सचिव, शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 20. सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए 4 गैर सरकारी विशेषज्ञ/संस्थान/एनजीओ | सदस्य |
| 21. परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव | सदस्य सचिव |

उक्त समिति सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न हितधारक विभागों द्वारा नियमित रूप से किये जा रहे प्रयासों/उपायों/कार्यों की क्रियान्विति की समीक्षा कर नीति निर्धारण करेगी।


ATC (R.S.)



13.03.20

उक्त समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जायेगी। यह एक स्थाई प्रकृति की समिति होगी। समिति का प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से


12.3.2020
(अरुण प्रकाश शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
10. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
11. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग
12. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
13. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग
14. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
15. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक
16. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
17. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, यातायात
18. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
19. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
20. निजी सचिव, शासन सचिव, शिक्षा विभाग
21. सदस्य स्वयंसेवी संस्था
22. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, संदर्भ सं.10(859)परि./स.सु./ब.धो.-20-21


12.03.2020
शासन उप सचिव